प्रेस विज्ञप्ति

08 अक्टूबर, 2015

रणदीप सिंह सुरजेवाला, मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आज प्रेसवार्ता में निम्न बयान जारी किया :–

''प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी–भाजपा–आरएसएस गठजोड़ अपनी दलित, पिछड़ों व आदिवासी विरोधी मानसिकता, सिद्धांतों, निर्णय और नीतियों के लिए बदनाम है। भाजपा–आरएसएस शासन में समाज में वंचित और कमजोर वर्ग, खासकर दलित, आदिवासियों व पिछड़ा वर्गों के अधिकारों को कमजोर करने तथा छीनने के कुत्सित प्रयासों की पहल कोई और नहीं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं।

मोदी–भाजपा–आरएसएस गठजोड़ का भंडाफोड़ तब हुआ जब आरएसएस के सरसंघचालक, श्री मोहन भागवत् ने पिछड़ा वर्ग और आदिवासियों के लिए आरक्षण की पुनः समीक्षा करने का निंदनीय प्रस्ताव किया। (http://post.jagran.com/Mohan-Bhagwat-pitches-for-review-of-quota-policy-1442812764). प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की भाजपा सरकार ने तो इससे भी आगे बढ़कर सोचे समझे तरीके से एससी/एसटी/बीसी वर्ग की कल्याणकारी योजनाओं को न केवल बंद कर दिया बल्कि उनके बजट में भी भारी कटौती कर दी।

प्रधानमंत्री और उससे पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके, श्री नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड उनकी दलित, आदिवासी व पिछड़ा वर्ग विरोधी मानसिकता को प्रमाणित करता है, जो निम्न उल्लेखित तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है :–

1. **श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार की दलित–आदिवासी विरोधी नीतियां**

   (i) एससी/एसटी की कल्याणकारी योजनाओं में भारी कटौती

   मोदी सरकार ने पूरे देश में दलितों व आदिवासियों की कल्याणकारी योजनाओं के बजट में भारी कटौती कर, समाज के इन वंचित वर्गों के हकों पर कड़ा प्रहार किया है। 2014–15 के केंद्रीय बजट (कांग्रेस की यूपीए सरकार ने 2014–15 में अंतरिम बजट पेश किया था) की तुलना में 2015–16 के केंद्रीय बजट में **'अनुसूचित जाति उपयोजना' के बजट में 19,734 करोड़ रु. की कटौती और 'अनुसूचित जनजाति उपयोजना' के बजट में 12,406 करोड़ रु. की कटौती की गई है।**

   'एससी उपयोजना' के अंतर्गत अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए बजट को **2014–15 में 50,548 करोड़ रु. से घटाकर मोदी सरकार ने 2015–16 में 30,850 करोड़ रु. कर दिया।** ऐसे ही 'एसटी उपयोजना' के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए बजट को **2014–15 में 32,386 करोड़ रु. से घटाकर 2015–16 में 19,980 करोड़ रु. कर दिया।**

   इन दोनों कार्यक्रमों की गाईडलाईन्स स्पष्ट निर्देश देती हैं कि 'एससी उपयोजना' के अंतर्गत दलितों के लिए प्लान आउट–ले का 16.60 प्रतिशत दिया जाना चाहिए, जो 77,236 करोड़ रु. होता है। इसी तरह 'एसटी उपयोजना' के अंतर्गत आदिवासियों को प्लान आउट–ले का 8.6

प्रतिशत दिया जाना चाहिए, जो 40,014 करोड़ रु. होता है। यदि इस मापदंड के आधार पर मापा जाए, तो **मोदी सरकार ने दलितों के आबंटन में 61 प्रतिशत की और आदिवासियों के आबंटन में 53 प्रतिशत की कटौती कर दी है।**

(ii) 'एससी/एसटी उपयोजना' में महिला केंद्रित योजनाओं में अप्रत्याशित कटौती

एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार एससी/एसटी महिलाओं के साथ क्रूरता का व्यवहार करती है। 'एससी उपयोजना' के अंतर्गत 'महिला केंद्रित योजनाओं' के लिए मात्र 73.70 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है, जो कुल बजट का मात्र 0.23 प्रतिशत है। ऐसे ही 'एसटी उपयोजना' के अंतर्गत 'महिला केंद्रित योजनाओं' के लिए बजट का आबंटन मात्र 40 करोड़ रु. है, जो कुल बजट का 0.20 प्रतिशत है।

(iii) एससी/एसटी की शिक्षा के खर्च में जानबूझकर कटौती

महात्मा गांधी से लेकर बाबा साहेब अंबेडकर तक ने एससी/एसटी/बीसी में शिक्षा की जागरुकता को सामाजिक न्याय के रास्ते का सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र माना। लेकिन श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार इसमें भी बुरी तरह असफल रही। 'एससी व एसटी उपयोजना' के अंतर्गत 'शिक्षा' पर किए जाने वाले घटाकर क्रमशः 10,194 करोड़ रु. तथा 5486 करोड़ रु. कर दिया गया। जले पर नमक छिड़कते हुए एससी/एसटी के लिए **'पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना'** के फंड को 2014–15 के 1904.78 करोड़ के मुकाबले 2015–16 में घटाकर 1599 करोड़ रु. कर दिया गया। इन कार्यों से भाजपा सरकार की दलितविरोधी मानसिकता प्रदर्शित होती है।

(iv) एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) संशोधन अध्यादेश, 2014 को समाप्त कर दिया गया

पिछली कांग्रेस सरकार ने 04.03.2014 को एससी एवं एसटी (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 1989 में संशोधन करने के लिए एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) संशोधन अध्यादेश, 2014 पारित किया था। इसके अंतर्गत दलित/आदिवासी विरोधी कुछ नए कार्यों को अत्याचार की श्रेणी में शामिल किया जाना था, जैसे एससी समुदाय के किसी व्यक्ति को वोट देने या न देने के लिए बाध्य करना, एससी समुदाय की भूमि पर गैरकानूनी कब्जा करना, एससी/एसटी के अधिकारों के संबंध में सरकारी कर्मचारी के द्वारा अपनी ड्यूटी का पालन न किया जाना आदि। मोदी सरकार को कांग्रेस सरकार से दो अध्यादेश विरासत में मिले– पहला दलित/आदिवासियों के लिए संशोधन अध्यादेश और दूसरा शेयर बाजार से जुड़ा 'प्रतिभूति (संशोधन) अध्यादेश, 2014'। जहां मोदी जी द्वारा शेयर बाजार से संबंधित प्रतिभूति अध्यादेश को कानून बना दिया गया, वहीं एससी/एसटी के अधिकारों से जुड़े अध्यादेश को मोदी सरकार ने आज तक कानून की शक्ल में पारित नहीं किया। उनके इस कार्य से सरकार की दलित–आदिवासी विरोधी मानसिकता साबित होती है।

(v) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान फंड (बीजीआरएफ), को सिरे से खारिज करना, जो 250 पिछड़े जिलों व बिहार–जम्मू कश्मीर–उड़ीसा के लिए था

2007 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों की मदद हेतु भारत के 250 पिछड़े जिलों के लिए 'पिछड़ा क्षेत्र अनुदान फंड' (बीजीआरएफ) बनाया। इस योजना में बिहार, जम्मू–कश्मीर और उड़ीसा के लिए विशेष प्रावधान किया गया था। 2014–15 में इस योजना में 6238 करोड़ रु. का बजट (जिसमें से एससी/एसटी के लिए 2076 करोड़ रु. का प्रावधान था) निर्धारित किया गया। यह 250 पिछड़े जिले मुख्यतः एससी/एसटी/बीसी बाहुल्य हैं। प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने 2015–16 के केंद्रीय बजट में 'बीजीआरएफ' योजना को पूरी तरह से बंद कर दिया।

2. <u>गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए श्री नरेंद्र मोदी की दलित व आदिवासी विरोधी मानसिकता, नीतियां और फैसले</u>

(i) नवंबर, 2007 में; श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा समय समय पर आईएएस अधिकारियों को दिए गए भाषणों को एक किताब **'कर्मयोग'** में संकलित किया गया। गुजरात राज्य पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने इस 101 पन्नों की किताब की 5000 प्रतियां छापीं। पृष्ठों 48 और 49 पर 'साधना पर्व' अध्याय में श्री मोदी ने कहा हैः–

> ''मैं नहीं मानता हूं, कि वो (वाल्मिकी) यह काम अपनी रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं। यदि ऐसा होता, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी यह काम नहीं करते आए होते। कभी न कभी उनमें से किसी एक को यह ज्ञान प्राप्त हुआ, कि उनका (वाल्मिकी का) काम पूरे समाज और ईश्वर को प्रसन्न करना है; उन्हें ईश्वर द्वारा दिए गए इस काम को करना होगा; और साफ सफाई बनाए रखने का यह काम सदियों से स्वतः ही होता आया। यह पीढ़ियों तक ऐसे ही चलता रहा होगा। यह मानना तो असंभव है, कि उनके पूर्वजों के पास कोई दूसरा काम या नौकरी करने का विकल्प नहीं होगा।''

इसके सार की प्रति इस प्रेस विज्ञप्ति में **संलग्नक 'A' और 'A-1' में** संलग्न है।

(ii) 30–04–2010 को श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी किताब **'सामाजिक समरसता'** के अनावरण समारोह में **'दलितों'** की तुलना **'मानसिक रूप से कमजोर बच्चों'** से की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार **'मानसिक रूप से कमजोर बच्चों'** से विशेष व्यवहार किया जाता है, **'दलितों'** से भी वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए।

(iii) नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में सभी राज्यों के द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार जारी भारत के योजना आयोग के आदेश के तहत हर राज्य को एक **अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी)** और एक **अनुसूचित जनजाति उप योजना (एसटीएसपी)** बनानी अनिवार्य है। एससीएसपी और एसटीएसपी के लिए समिति का अध्यक्ष प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री होगा। गुजरात में श्री नरेंद्र मोदी ने 2004 से लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री का पद छोड़ने, मतलब दस सालों तक एससीएसपी या एसटीएसपी की एक भी बैठक आयोजित नहीं की। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनकी गुजरात सरकार की दलित–आदिवासी विरोधी मानसिकता के कारण जानबूझकर यह नीति लागू नहीं की गई।

(iv) योजना आयोग के अनुसार दलितों की जनसंख्या के अनुपात में राज्य के कुल बजट का एक हिस्सा उनके लिए निर्धारित किया जाना अनिवार्य है। गुजरात राज्य में दलितों की जनसंख्या 14 प्रतिशत है, जबकि श्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए दलितों के लिए सरकारी बजट का आबंटन कभी भी 5.42 प्रतिशत से अधिक नहीं हुआ।

(v) जब 10 वर्ष से अधिक गुजरात का मुख्यमंत्री रहने के बाद श्री नरेंद्र मोदी साल 2014 में केंद्र में आए, तो उस समय गुजरात राज्य में दलितों–आदिवासियों के 27,900 पद/नौकरियां वर्षों से रिक्त पड़े थे। यहां तक कि अहमदाबाद शहर और जिले में ही, जहां से श्री नरेंद्र मोदी विधायक चुने जाते थे, 3125 दलित विद्यार्थियों को साल 2014 तक एससी स्कॉलरशिप नहीं दी गई थी।

(vi) दलितों को संविधान के 73 वें संशोधन द्वारा दिए गए पंचायती राज में आरक्षण के दावे को नकारने हेतु श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार ने 2012 के पंचायती राज चुनावों में कुल 12000 गांवों में से 600 गांवों में दलितों को कोई भी आरक्षण नहीं दिया।

(vii) श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने हमेशा प्रदेश को इकाई न मानकर जिला स्तर पर आरक्षण की असंवैधानिक नीति अपनाई। ताज्जुब यह है, कि गुजरात राज्य ने एक अजीबोगरीब व्यवस्था लागू करके आरक्षण नीति के क्रियान्वयन का यूनिट राज्य की जगह जिले को बना दिया। आरक्षित वर्ग की नौकरियों को भरने के लिए दूसरे जिले में भर्ती की अनुमति नहीं थी, जिसके कारण दलित और पिछड़ा वर्ग लाखों नौकरियों से वंचित रह गए, और योग्य अभ्यर्थी के दूसरे जिले में जाकर नौकरी करने पर प्रतिबंध के कारण ये नौकरियां रिक्त ही रह गईं। यह स्थिति आज तक यथावत बनी हुई है।

(viii) श्री नरेंद्र मोदी ने 2.5 लाख नौकरी 11 माह के अनुबंध पर नियत वेतनमान पर दीं। दुर्भाग्यवश, इन नियुक्तियों के लिए उन्होंने आरक्षण के किसी भी नियम का पालन नहीं किया।

दलितों–आदिवासियों–पिछड़े वर्गों के कल्याण का कार्य करने की बजाए प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी कमजोर और गरीब वर्गों को दबाने और सामाजिक न्याय से वंचित रखने के आरएसएस के एजेंडे का पालन कर रहे हैं। हम मांग करते हैं, कि श्री नरेंद्र मोदी–भारतीय जनता पार्टी– आरएसएस अपने दलित–आदिवासी–पिछड़ा वर्ग विरोधी मानसिकता और नीतियों के लिए देश व बिहार की जनता से माफी मांगें।

Book of Sh. Narendra Modi titled 'KARMAYOG'
Chapter – SADHANA PRANA, Pages 48,49 (last and first para)

[illegible]

સમાજ માટે ભક્તિ જાગે નહીં ત્યાં સુધી કર્મયોગી બની શકાતું નથી અને તેથી જ ભીતરના શ્રદ્ધાભાવને જગાવવાની જરૂર છે.

[illegible]

મારે મન કર્મમાં ભક્તિ ભળે એ ધર્મ બને... મોંઘેરું કામ જે ભક્તિથી કરે તે ધાર્મિક.

[illegible]

સેવા : વિચાર, વૃત્તિ, પ્રવૃત્તિ

[illegible]